बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं० – 633 / 2003)

Website : basabihar.in, E-mail id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
* अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
सयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 01 दिनांक 9-1-2019

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार।

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का प्रोन्नति में Stagnation एवं कालावधि क्षांत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रोन्नति में Stagnation की ओर संघ भवदीय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है जो इस प्रकार है :–

क्र0 सं0	बैच	योगदान का वर्ष	वर्तमान धारित पद	प्रोन्नति हेतु पद	सेवा अवधि	सा0प्र0 का संकल्प ज्ञापांक–942, दि0–28.01.2010 द्वारा निर्धारित कालावधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	36वीं(शेष) 37वीं 38वीं 39वीं	1992 1993 1995 1996	अपर समाहर्त्ता	संयुक्त सचिव	26 वर्ष से अधिक 25 वर्ष '' 23 वर्ष '' 22 वर्ष ''	15 वर्ष
2.	40वीं 41वीं 42वीं 43वीं 44वीं(शेष)	1997 1999 2000 2004 2005	उप सचिव	अपर समाहर्त्ता	21 वर्ष '' 19 वर्ष '' 18 वर्ष '' 14 वर्ष '' 13 वर्ष ''	10 वर्ष
3.	44वीं(शेष) 45वीं 46वीं 47वीं 48–52वीं	2005 2005 2007 2009 2010	मूल कोटि	उप सचिव	13 वर्ष '' 13 वर्ष '' 11 वर्ष '' 09 वर्ष '' 08 वर्ष ''	05 वर्ष

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 08 से 14 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है जब कि पाँच वर्ष पर पहली प्रोन्नति होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य पदों की स्थिति स्पष्ट है।

2. सामान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापांक–942, दिनांक–28.01.2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया जिसमें पदों की संख्या 2878 से घटाकर 851 की गई थी। जिसके कंडिका–(6) में वर्णित है, **''बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूम पदों के अवक्रमण/उत्क्रमण/सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि मे समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समास्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्य मंत्री प्राधिकृत होंगे।''**

3. दिनांक 29.12.2015 को सामान्य प्रशासन विभाग के समीक्षा के क्रम में भवदीय द्वारा निदेश दिया गया कि ''बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की पुनः समीक्षा की जाये तथा संवर्ग की पुनर्सरचना हेतु कार्रवाई की जाये।'' जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापांक–7118, दिनांक–03.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन में पदों की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया एवं पदों की संख्या बढ़ा कर 1634 की गई। जिसके कंडिका (6) में वर्णित है कि **बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तरों में पदों की संख्या अत्यधिक कम कर दिये जाने के कारण प्रोन्नति के अवसर भी कम हो गये, जिसके फलस्वरूप पदाधिकारियों की प्रोन्नति अवरूद्ध हो गयी तथा Stagnation की स्थिति उत्पन्न हो गयी** एवं कंडिका–(11) में वर्णित है, **''बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन एवं पदों के सृजन के फलस्वरूप किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने पर उसके समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे।''**

वर्तमान में विभिन्न स्तर पर रिक्तियों की स्थिति इस प्रकार है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	प्रोन्नत पदाधिकारियों की संख्या	रिक्तियाँ
(i)	विशेष सचिव	24	4	20
(ii)	अपर सचिव	48	40	08
(iii)	संयुक्त सचिव	.192	61	131
(iv)	अपर समाहर्त्ता	304	163	141
(v)	उप सचिव	339	259	80

5. उपरोक्त उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्य सचिव से दिनांक– 13.08.2018 को वार्ता की गई। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका।

6. संघ को इस बात की खुशी हो रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए वर्ष 2019 में देय प्रोन्नति ससमय वर्ष 2019 के प्रारंभ में ही दे दी गई। परन्तु दुःख इस बात का है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वर्ष 2018 में अपर समाहर्त्ता एवं संयुक्त सचिव स्तर में न तो कोई प्रोन्नति हुई और न हीं सामान्य प्रशासन के संकल्प द्वारा निर्धारित उपर्युक्त कंडिका–1 कॉलम (7) के

अनुसार प्रोन्नति दी गई। संघ चाहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के ससमय कार्यान्वयन की तरह हम बिहारवासियों के प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी कार्य हो।

7. उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में संघ चाहता है कि **उपरोक्त कंडिका–3 में वर्णित संकल्प की कंडिका–(6) एवं कंडिका–(11) के आलोक में कालावधि में विशेष छूट प्रदान करने या उपरोक्त कंडिका–(1) के कॉलम (7) में वर्णित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रोन्नति हेतु कालावधि के अनुसार प्रोन्नति देने का निर्देश संबंधित को देने की महत्ती कृपा की जाय ताकि प्रोन्नति में Stagnation समाप्त हो सके।**

9/1/2019

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

सुशील 09.01.2019

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :–सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/1/2019

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव